"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल 2018—चैत्र 30, शक 1940

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/एक-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सुनील कुमार कुजूर, भा.प्र.से. (1986), अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर पदस्थ करते हुए अपर मुख्य सचिव, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2018

क्रमांक एफ 1-02/2018/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री प्रभात मिश्रा, भा.व.से. (2006) वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा को प्रशासनिक दृष्टिकोण से, तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर में उप वन संरक्षक के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

श्री दिलराज प्रभाकर, भा.व.से. (2008) वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ वनमण्डल, खैरागढ़ को वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा का अतिरिक्त प्रभार अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सौंपा जाता है. श्री प्रभाकर वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर सूचित करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 1-73/2001/दस/भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में उल्लेखित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना (2)	जन्मतिथि (3)	सेवानिवृत्ति तिथि (4)
1.	श्री शिरीष चंद्र अग्रवाल (1983), प्रधान मुख्य वन संरक्षक व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि एवं पादप बोर्ड, रायपुर.	05-04-1959	30-04-2019 (अपरान्ह)
2.	श्री अरूण कुमार द्विवेदी (1984), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी, कृषि विभाग, रायपुर.	30-06-1959	30-06-2019 (अपरान्ह)
3.	श्री कृष्ण चंद्र यादव (1984), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर.	30-06-1959	30-06-2019 (अपरान्ह)
4.	श्री कौशलेन्द्र सिंह (1985), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर.	16-06-1959	30-06-2019 (अपरान्ह)
5.	श्री पूरन चंद्र मिश्रा (1985), सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	21-02-1959	28-02-2019 (अपरान्ह)
6.	श्री बुद्धपाल नोन्हारे (1985), मुख्य वन संरक्षक, राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर.	15-11-1959	30-11-2019 (अपरान्ह)

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	श्री राजेन्द्र कुमार डे (1985), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय कार्यालय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भुवनेश्वर, ओडिशा.	12-06-1959	30-06-2019 (अपरान्ह)
8.	श्री रामबचन प्रसाद सिन्हा (1986), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर.	10-11-1959	30-11-2019 (अपरान्ह)
9.	श्री विक्रम सिंह लकरा (1996), महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर.	09-03-1959	31-03-2019 (अपरान्ह)
10.	श्री किशोर कुमार बिसेन (1998), मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), सरगुजा, वनवृत्त, अंबिकापुर.	13-08-1959	31-08-2019 (अपरान्ह)
11.	श्री देवाशीष बैनर्जी (1999), वन संरक्षक, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर.	19-07-1959	31-07-2019 (अपरान्ह)
12.	श्री एम. गोविन्दराव (1999), वनमण्डलाधिकारी, बालोद वनमण्डल, बालोद (छ.ग.)	12-02-1959	28-02-2019 (अपरान्ह)
13.	श्री नरेन्द्र कुमार पण्डेय (2001), संचालक, उद्यानिकी, इंद्रावती भवन, नया रायपुर.	01-01-1960	31-12-2019 (अपरान्ह)

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2018

क्रमांक एफ 01-03/2017/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा वर्ष 2016-18 बैच के निम्नलिखित प्रशिक्षु भारतीय वन सेवा अधिकारियों को क्षेत्रीय प्रशिक्षण (On Job Training) प्राप्त करने हेतु उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए वनमण्डलों में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वृत्त का नाम	वनमण्डल का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री कुमार निशांत	रायपुर वृत्त	धमतरी वनमण्डल
2.	श्री मयंक अग्रवाल	जगदलपुर वृत्त	बस्तर वनमण्डल
3.	श्री पंकज कुमार कमल	सरगुजा वृत्त	सरगुजा वनमण्डल

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur the 9th March 2018

No. 2391/823/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Shweta Goswami D/o Shri Reval Giri Goswami (Category-Unreserved (F) Merit No. 09) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appointee during her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAVISHANKAR SHARMA, Principal Secretary.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2018

क्रमांक/2036/एफ-8/89/PMFBY/2016/14-2.—खरीफ 2017 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 5657/एफ-8/89/PMFBY/2016/14-2 दिनांक 24-07-2017 में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. सरल क्र. 39 जिला-दुर्ग, तहसील-धमधा, आर.आई.सर्किल-अहिरवारा की तालिका के अनुक्रमांक 41 ग्राम पंचायत-ढौर में पूर्व में अधिसूचित फसलों के अतिरिक्त धान असिंचित फसल को अधिसूचित किया जाता है.

2. सरल क्र. 66 जिला बलौदाबाजार, तहसील-भाटापारा, आरईसर्किल-निपनिया के अंतर्गत निम्नानुसार ग्राम पंचायत को उसके सम्मुख स्तंभ में उल्लेखित "ग्राम पंचायत के संशोधित नाम" के अनुसार पढ़ा जावे.

क्र.	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत के संशोधित नाम
12	खपरी एस	खपरी (र)
46	खपरी आर	खपरी (स)

3. सरल क्र. 107 जिला-कोण्डागांव, तहसील-केशकाल, आर.आई.सर्किल-धनोरा की तालिका के अनुक्रमांक 18 ग्राम पंचायत-होनहेड में पूर्व में अधिसूचित फसलों के अतिरिक्त धान सिंचित फसल को अधिसूचित किया जाता है.

पूर्व में जारी अधिसूचना की शेष शर्तें यथावत रहेंगी.

नया रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2018

क्रमांक/2246/एफ-11/33/2017/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 3739-डी-6-141-चौदह-79-3, दिनांक 27 अक्टूबर, 1979 को संशोधित करती है तथा यह घोषित करती है कि निम्नलिखित स्थान, जिसके अन्तर्गत समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है, जिसके लिए इस विभाग की अधिसूचना क्र. 91-12677-चौदह, दिनांक 03 जनवरी, 1969 द्वारा मण्डी स्थापित की गई है, किसान/उपभोक्ता उप-मण्डी प्रांगण होगा, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम बसंतपुर, तहसील राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव में खसरा क्र. 115/1 की लगभग 1.00 एकड़ क्षेत्र की सीमाएं निम्नानुसार हैं :—

उत्तर पर	—	खसरा नं. 115/1 सेण्ड्री शॉप
दक्षिण पर	—	खसरा नं. 115/1 मंडी गोदाम
पूर्व पर	—	खसरा नं. 115/1 मंडी का किसान रेस्ट हाउस
पश्चिम पर	—	आवासीय निजी भूमि बसंतपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैंकरा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2018

क्रमांक/2246/एफ-11/33/2017/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2246/एफ-11/33/2017/14-2, दिनांक 15-03-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur the 15th March 2018

No./2246/F-11/33/2017/14-2.—In exercis of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, amends this department's Notification No. 3739-D-6-141-XIV-79-3, dated 27th October, 1979 and declares that the following places including all structures, enclosures, open place or locality shall be Farmer/Consumer sub-market yard for which a market has been established by this department's Notification No. 91-12677-XIV, dated 03rd January, 1969, namely :—

PLACE

Boundaries of an area of about 1.00 Acre of Khasra No. 115/1, at village Basantpur in Rajnandgaon Tahsil of Rajnandgaon District are as under,—

On the North by	—	Khasra No. 115/1 Sandri shop
On the South by	—	Khasra No. 115/1 Mandi Godown
On the East by	—	Khasra No. 115/1 Farmer Rest house of Mandi
On the West by	—	Private Residential Land Basantpur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2018

क्रमांक/एफ 19-02/2012/25-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 17 सहपठित धारा 18 एवं छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति नियम 2002 के नियम 4 सहपठित नियम 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अध्याधीन छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का निम्नानुसार गठन करता है :—

क्र. (1)	हज समिति की धारा (2)	मनोनित सदस्य (3)
01.	नियम की धारा 05 की उपधारा (02)-01 03 सदस्य (मस्लिम सदस्यों में से) :— (क) राज्य के लोक सभा या राज्य सभा का सदस्य (ख) राज्य विधान सभा का सदस्य (ग) राज्य विधान परिषद का सदस्य	राज्य में कोई मुस्लिम लोकसभा, राज्यसभा एवं विधायक सदस्य ना होने के फलस्वरूप-निरंक.
02.	नियम की धारा 05 की उपधारा (02)-02 03 मुस्लिम सदस्यों में से :— राज्य के स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका) के मुस्लिम सदस्यों में से.	(क) श्रीमती नाजो सिद्दीकी, पार्षद वार्ड क्र. 23 कवर्धा (ख) श्री इम्तीयाज अंसारी, पार्षद जशपुर नगर (ग) श्री सईद रजा चौहान, पार्षद आरंग, जिला-रायपुर, छ.ग.
03.	नियम की धारा 05 की उपधारा (02)- 03 03 (मुस्लिम सदस्यों से) :— जो मुस्लिम धर्मज्ञान व मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ हो, चइन सदस्यों में से एक शिया मुस्लिम समुदाय से आवश्यक है.	(क) मौलाना एहतेशाम सिद्दीकी, गणेश नगर, बिलासपुर (ख) मौलाना जहीरूद्दीन, रिजवी, रहबर संतोषी नगर, रायपुर, छ.ग. (ग) मौलाना असगर मेहन्दी, हैदरी मस्जिद मोमिनपारा, रायपुर, छ.ग. (शिया सदस्य).
04.	नियम की धारा 05 की उपधारा (02)- 04 05 मुस्लिम सदस्य :— ऐसे मुस्लिम स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधियों से जो सार्वजनिक प्रशासकीय, वित्तीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत् हो.	(क) श्री मोहम्मद सलीम खान, भाटापारा, छ.ग. मुस्लिम समाज उपाध्यक्ष, रजिस्टर्ड. (ख) श्री सैय्यद सैफुद्दीन, सरपरस्त एवं सदस्य मदरसा रजविया अनवारूल उलूम बिलासपुर एवं सदस्य सुन्नी हनफी मस्जिद कमेटी गणेश नगर, बिलासपुर. (ग) श्री कमरूज्जमा फरीदी, सदस्य दरगाह कमेटी कुतुब-ए-भिलाई हजरत सैय्यद बाबा भिलाई-03. (घ) श्री शेख हाशिम, अध्यक्ष, भनपुरी मुस्लिम समाज भनपुरी, करनडोला बस्तर विकासखंड, जिला-बस्तर.
05.	अध्यक्ष राज्य वक्फ बोर्ड,	पदेन सदस्य
06.	कार्यपालन अधिकारी/सचिव, राज्य हज कमेटी	पदेन सदस्य

2. समिति के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 03 वर्ष होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 7-31/2017/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 4-10-2017 द्वारा जांजगीर विकास योजना 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

जांजगीर विकास योजना 2021 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (एकड़ में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कुलीपोटा प.ह.नं. 42	540/1	3.50 एकड़	कृषि एवं मार्ग	मार्ग को छोड़कर आवासीय

2. उक्त उपांतरण अटल विहार योजना के आवासीय प्रयोजन हेतु है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा जांजगीर विकास योजना 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण जांजगीर विकास योजना 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2018

क्रमांक एफ 7-2/2018/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 568/एफ 2-16/32/2004 दिनांक 25-5-2004 द्वारा गठित धरमजयगढ़ निवेश क्षेत्र में अनुसूची-एक में दिये गये ग्राम अमलीटिकरा को अपवर्जित करते हुए पुनर्गठित धरमजयगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं अनुसूची-दो निर्धारित की जाती है :—

अनुसूची-एक

धरमजयगढ़ निवेश क्षेत्र में अपवर्जित ग्राम

ग्राम - अमलीटिकरा.

अनुसूची-दो

धरमजयगढ़ निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम सेमीपाली खुर्द एवं गेवर खुटरी ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम गेवर खुटरी, धरमजयगढ़, शाहपुर एवं तराईमार ग्राम की पश्चिम सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम तराईमार, मेंढरभाटा, दरीडीह एवं ओंगना ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम ओंगना, मड़रीमुडा, धरमजयगढ़ एवं सेमीपाली खुर्द ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2018

क्रमांक एफ 7-31/2017/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जनजातीय कलस्टर धरमजयगढ़ निवेश क्षेत्र जिला रायगढ़ का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

जनजातीय कलस्टर धरमजयगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम खम्हार ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम खम्हार, नकना, मिरीगुड़ा, लक्ष्मीपुर तथा अमलीटिकरा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम अमलीटिकरा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम अमलीटिकरा, लक्ष्मीपुर, मिरीगुड़ा, नकना एवं खम्हार ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2018

क्रमांक 29/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की अध्याय 2 से अध्याय 6 के सभी या कोई उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 40 (1) के उपबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गफीट में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	तालापारा प.ह.नं. 39	378	अधीक्षण अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग बिलासपुर.	महाराणा प्रताप चौक पर फ्लाई ओव्हर निर्माण एवं सड़क तथा उन्नयन कार्य हेतु.
		तिफरा प.ह.नं. 40	51110	मुख्य अभियंता, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.)	
			51488		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 मार्च 2018

क्रमांक 121/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	झलफा प.ह.नं. 11	0.83	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्रमांक 161/82/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	मेण्ड्रा प.ह.नं. 42	1.20	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर (पूरक) निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्रमांक 162/81/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	घुटकु प.ह.नं. 53	8.29	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अंतर्गत वितरक नहर (पूरक प्रकरण) निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्रमांक 163/80/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	छतौना प.ह.नं. 37	7.32	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अंतर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्रमांक 765/भू-अर्जन/अ-/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रतापपुर	दरहोरा प.ह.नं. 17	0.67	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, अंबिकापुर (छ.ग.).	दरहोरा- सेमई -चंदोरा मार्ग पर गोड़कटवा नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), प्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. देवसेनापति, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 1 मार्च 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/1898/04/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	लट्टीडेरा (बनबगौद) प.ह.नं. 02	0.49	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग रूद्री कोड नंबर-38, जिला-धमतरी.	फुटहामुड़ा मुख्य नहर निर्माण योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 1 मार्च 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/1899/03/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	बनबगौद प.ह.नं. 02	0.30	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग रूद्री कोड नंबर-38, जिला-धमतरी.	फुटहामुड़ा मुख्य नहर निर्माण योजना भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 31 जनवरी 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-1453/21/अ-82/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोंड़ीउपरोड़ा	लरला प.ह.नं. 13	0.405	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो बांध संभाग, क्र. 3, माचाडोली, जिला-कोरबा (छ.ग.).	बांगो बांध के डूब में अर्जित होने के कारण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोंड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 8 फरवरी 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/1858/10/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	दर्राभांठा प.ह.नं. 08	0.36	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	बालपुर - रींवापार (दर्राभांठा) सराईपाली-खरवानी मार्ग पर सोन नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 8 फरवरी 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/1861/09/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	सरईपाली प.ह.नं. 11	0.07	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	बालपुर - रींवापार (दर्राभांठा) सराईपाली-खरवानी मार्ग पर सोन नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 मार्च 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/2942/03/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	रूमगरा प.ह.नं. 10	0.302	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग, कोरबा.	दर्री-कोरबा मार्ग पर भवानी मंदिर के पास हसदेव बैराज के डाउन-स्ट्रीम में हसदेव नदी पर उच्च स्तरीय सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर , दिनांक 9 फरवरी 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/1299/भू-अर्जन/कले./2018/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	वाड्रफनगर	सरना प.ह.नं. 10	6.26	कार्यपालन अभियंता, थर्मल पावर परियोजना संभाग अंबिकापुर, जिला-सरगुजा.	सरना कोईलीपारा में सेमर बांध जलाशय के बांध, डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, नहर निर्माण तथा नाला डायवर्सन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जशपुर, दिनांक 29 जनवरी 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	बगीचा	करमा प.ह.नं. 42	0.177	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (सेतु निर्माण) संभाग अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.).	करमा से कोटिया मार्ग में डोड़की नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण एवं पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बगीचा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 25 मार्च 2018

क्रमांक 130/15/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कपसियाकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.254 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1092	0.040
1093	0.012
1094/1, 1100/1	0.069

(1)	(2)
1094/2, 1095, 1100/2	0.093
1101	0.040
योग 8	0.254

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 मार्च 2018

क्रमांक 132/30/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-घोंघाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.360 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
103/1	0.028
103/2	0.125
93/1	0.040
92/1	0.004
105	0.020
91	0.032
89	0.004
101	0.069
92/2	0.057
106/1	0.049
107	0.032
88/1	0.028
88/2	0.024
108	0.057
81	0.105
84/1	0.223
83/1	0.057
82	0.129
74/1	0.024
90/1	0.040
90/3	0.036
90/2	0.016
87/10	0.028
87/11	0.032
87/12	0.032
88/8	0.012
88/7	0.057
योग 27	1.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 मार्च 2018

क्रमांक 134/08/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.789 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
111/1	0.045
111/2	0.061
111/3	0.101
104	0.117
103	0.129
101/2	0.008
112/1	0.045
99	0.186
78/2	0.053
79	0.008
113/2	0.004
96/2	0.073
96/3	0.069
96/1	0.097
94/1, 94/2	0.089
86	0.142
78/1	0.069
76	0.065
193/3	0.032
194	0.008
196/1	0.016
196/2	0.016
195/1	0.049
205/1	0.053
205/2	0.045
204/2	0.105
204/1 ग	0.036
204/1 घ	0.032
204/1 च	0.020
204/1 ड	0.016
योग 31	1.789

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 मार्च 2018

क्रमांक 136/09/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर
   (ख) तहसील-तखतपुर
   (ग) नगर/ग्राम-तुर्काडीह
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.551 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25/2	0.049
36/2	0.093
25/3	0.049
25/4	0.036
34/1, 35/1	0.053
36/1, 37/4	0.012
37/1	0.040
38/1	0.154
44/35	0.065
योग 11	0.551

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक 131/32/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भकुर्रा नवापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.556 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
133/1	0.020
135	0.170
137/2	0.061
130/1	0.040
130/2	0.105
137/10	0.121
141/1	0.004
141/3	0.069
122/2	0.020
255/1	0.085
253/4	0.008
244/1	0.024
316/1	0.004
245/1	0.040
316/2	0.065
316/9	0.049
316/5	0.032
316/4	0.008
318/2	0.024
318/10	0.057
318/1	0.020
318/11	0.049
319/1	0.081
337	0.020
321/1	0.012
321/3	0.053
322	0.020
321/2	0.040
335/3	0.065
335/6, 335/7	0.053
335/8	0.012
330/6	0.020
334/1	0.045
333	0.077
339/1	0.040
124/1	0.032
361/1	0.049
635	0.068
634	0.077
633	0.028
632/1	0.012
632/2	0.012
137/1	0.036
125/1	0.028
126/1	0.085
124/2, 124/5	0.049
124/7	0.040
151	0.008
124/4, 124/6	0.040
121	0.016
119/2	0.053
152/1	0.032
155	0.012
120	0.020
160/5	0.028
164/3	0.053
160/7	0.028
160/2	0.024
160/4	0.028
161	0.049
163/2	0.036
योग 64	2.556

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक 133/05/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लोखंडी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.987 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	73/1	0.016
	71/1 क	0.073
	92/1	0.057
	71/1 ख	0.008
	95	0.105
	94/1	0.024
	94/2	0.024
	103/5	0.162
	104	0.065
	103/4, 103/6	0.016
	130	0.053
	134	0.020
	135	0.036
	133/3	0.040
	135	0.065
	133, 136	0.016
	140	0.061
	141	0.085
	105/1	0.061
योग	21	0.987

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक 135/13/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-समलपुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.907 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	22/1, 22/2	0.057
	32	0.065
	1101	0.081
	1076	0.227
	1074	0.032
	1073	0.121
	1071	0.065
	1070	0.117
	1069/1	0.077
	1069/2	0.065
योग	11	0.907

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक 140/33/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्डारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.501 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1287/1, 1288/1, 1289, 1290 1291	0.008
	1281	0.174
	1273	0.073
	1272	0.097
	1280	0.020
	1279	0.004
	1271/2	0.117
	1271/3	0.008
योग	12	0.501

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्रमांक 154/23/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जोंकी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.294 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
667/3 ख	0.004
667/3 क	0.057
667/2	0.069
667/4	0.049
658/1	0.117
658/2	0.020
659/6	0.049
659/5	0.045
236	0.036
235/2	0.121
235/1	0.069
248	0.012
249	0.073
250	0.065
257	0.012
256	0.057
255	0.036
222/2	0.045
217/2	0.061
201, 202	0.162
218/2	0.069
214	0.077
211	0.117

(1)	(2)
189/1, 190/1	0.174
189/2, 190/2	0.198
205	0.008
191	0.069
204	0.016
12/1	0.057
61	0.049
12/2	0.028
13	0.024
14	0.016
66	0.008
60	0.008
62	0.048
198/1, 199/1, 200/1	0.057
59	0.057
464	0.052
56/1	0.004
57	0.053
51	0.040
441/1	0.020
442	0.117
439	0.089
438	0.093
435	0.101
462	0.032
461	0.004
465/4	0.008
466	0.069
198/4, 199/4, 200/4	0.183
282/3	0.093
282/5	0.073
216/1	0.024
योग 62	3.294

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर (उस्लापुर वितरक) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्रमांक 155/01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बिचारपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.914 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
9/1, 13/1	0.324
9/2, 13/2	0.234
16/1	0.097
17/1 ख	0.020
16/3 क	0.065
17/2	0.012
17/3	0.162
योग 9	0.914

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्रमांक 158/18/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलटुकरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.191 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	571/1	0.053
	624/1	0.040
	571/2	0.040
	624/2	0.053
	625/3	0.032
	625/2	0.040
	625/1	0.081
	628/1	0.049
	627, 628/2	0.029
	624/5	0.032
	589/4	0.061
	607/1	0.024
	607/2	0.020
	608	0.049
	663/4	0.097
	456/16	0.089
	456/14	0.061
	456/9	0.032
	456/18	0.061
	458/7	0.040
	458/4	0.081
	460/7	0.089
	460/13	0.089
	459/1	0.065
	434/1	0.049
	434/2	0.040
	435/2	0.073
	422/1	0.028
	460/9	0.012
	663/1	0.004
	660	0.077
	629/2, 816/2	0.040
	570/1	0.004
	632, 633/1	0.101
	629/4, 816/4	0.032
	631/1	0.049
	637	0.101
	640	0.036
	644	0.036
	645	0.032
	646	0.036
	647	0.057
	648/2	0.077
योग	47	2.191

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर (चोरभट्ठी, वितरक) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्रमांक 160/10/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-देवरीकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.222 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	107/1, 108/1	0.049
	107/2	0.053
	107/3, 108/2	0.101
	111/1	0.040
	109/1	0.049
	111/2	0.012
	110/1	0.081
	161/1	0.136
	161/2	0.020
	160/3	0.125
	160/7	0.089
	160/1	0.057
	154/2	0.129
	240/2	0.065
	241/1	0.057
	241/2	0.012
	241/5	0.040
	242	0.024
	246/2	0.016
	246/5	0.016
	381/8	0.105
	393/1	0.117
	246/4	0.024
	246/1	0.028
	373/5	0.020
	373/6	0.020
	374	0.032
	375/3	0.069
	379/1	0.053
	379/3	0.073
	379/2	0.057
	381/1	0.097
	386/3	0.028
	386/4	0.053
	394/1	0.093
	399/1	0.081
	401	0.073
	373/1	0.028
योग	40	2.222

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2018

क्रमांक 156/14/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गोकुलपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.838 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
592/1	0.065
591/2	0.085
590	0.016
570	0.073
588	0.040
589/2	0.049
581/1	0.040
581/2	0.040
582/2	0.069
559	0.016

(1)	(2)
571/1	0.008
568	0.032
569	0.036
560	0.004
546	0.040
566	0.004
629/1	0.332
547	0.045
513	0.061
512/2	0.061
511	0.040
510	0.061
509/1	0.081
439/5	0.040
440	0.065
439/1 क	0.045
457	0.065
456	0.109
455	0.073
454	0.057
450	0.150
631/1	0.020
633, 634	0.004
629/2, 629/3	0.032
629/4	0.061
629/5	0.061
658/1	0.243
632	0.061
500	0.016
526	0.024
534	0.032
465/2	0.024
631/2	0.304
630/1	0.061
567/1, 567/2	0.045
योग 48	2.838

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर (उस्लापुर वितरक एवं घुटकु वितरक) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2018

क्रमांक 157/34/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.497 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
80/6 घ	0.012
391/8	0.012
390/2	0.032
388	0.049
387/1	0.057
386/1	0.061
80/6 ख	0.121
80/5	0.049
391/13	0.028
391/1	0.049
80/16	0.061
80/15	0.016
80/1	0.109
82/1	0.085
76/16	0.105
76/1	0.105
75/1	0.081
75/2	0.065
75/3	0.008
74/1	0.085
74/2	0.093
72/2	0.008
66/1	0.125
66/2	0.020
90/3	0.093

(1)	(2)
92	0.109
93/1	0.028
93/2	0.061
94/4	0.040
95/1	0.170
95/2	0.004
94/2	0.032
105	0.194
106	0.125
107/2	0.020
107/3	0.020
107/1	0.040
115/2	0.174
391/12	0.089
391/7	0.053
391/3	0.202
391/14	0.045
391/9	0.004
402/4	0.073
402/3	0.036
399/1	0.012
400	0.004
401/1	0.053
401/2	0.061
438/1	0.012
438/2	0.012
437/1	0.065
436	0.081
434	0.036
440/3	0.008
435/2	0.105
योग 57	3.497

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर (मुख्य नहर) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2018

क्रमांक 159/06/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भुण्डा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.438 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
116/10	0.097
116/3	0.004
116/6	0.129
116/9	0.093
116/2	0.020
119	0.016
114	0.049
115	0.053
112	0.065
111/2	0.024
110/1	0.069
19/14	0.081
19/5	0.049
109	0.004
103/4	0.077
19/2	0.105
103/3	0.065
103/1	0.045
43/1	0.093
44	0.065
45/3	0.040
103/2 ग	0.065
91	0.041
90/1	0.024
45/1	0.016

	(1)	(2)
	113/3	0.049
योग	26	1.438

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2018

क्रमांक 72/भू-अर्जन क्र. 05/अ-82 वर्ष 2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-पलौद, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.49 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1401 का भाग	0.42
	1814 का भाग	0.09
	1749 का भाग	0.02
	1752	0.28
	1588 का भाग	0.07
	1590 का भाग	0.43
	1794 का भाग	0.04
	1578 का भाग	0.04
	1579 का भाग	0.15
	1591/2	0.20
	1591/3	0.15
	1592/2	0.20
	1592/3	0.11
	1591/4 का भाग	0.05
	1592/4	0.24
योग	15	2.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-लोक हित में नया रायपुर ए.डी. रोड-1 का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 9 फरवरी 2018

क्रमांक/1295/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-पण्डरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2686/2	0.057
2688	0.004
योग 2	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केनवारी एनीकट योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 9 फरवरी 2018

क्रमांक/1296/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-बसंतपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.75 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.55
6	0.28
10	0.38
11	0.70
14	0.70
15	0.79
16	0.45
18	0.12
27	0.05
28	0.06
29	0.11
30	0.50
31	0.07
34	0.22
41	0.70
1781	0.06
1782	0.01
1840	0.10
1841/1	0.04
1841/2	0.02
1842	0.09
1843	0.14
1864/2	0.11
1863/1	0.01
1865/1	0.02
1865/2	0.02
1870	0.03
1874/1	0.06
1874/2	0.05
1876	0.20
1888	0.01
1889	0.15
1890/2	0.03
1895	0.02
1896	0.15
1897	0.18
1917	0.06
1918	0.14
1925	0.18
1933	0.01
1934	0.08
1941	0.03
1942	0.01
1947	0.06
योग 44	7.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कौआखो जलाशय योजना हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 9 फरवरी 2018

क्रमांक/1297/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-कमलपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.80 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	125	0.22
	233	0.25
	235	0.05
	236	0.14
	250	0.01
	251/1	0.01
	251/2	0.02
	251/3	0.03
	251/4	0.03
	252	0.05
	253	0.04
	568	0.02
	572	0.02
	579	0.37
	580	0.11
	581	0.09
	582	0.05
	583	0.01
	584/2	0.05
	586	0.21
	590	0.09
	591	0.01
	593	0.12
	594/1	0.04
	603	0.07
	610/1	0.05
	620/1	0.05
	621	0.01
	622/1	0.14
	656	0.13
	670	0.03
	671	0.03
	674/1	0.03
	679	0.01
	680	0.07
	715	0.01
	716	0.16
	755	0.11
	758/2	0.02
	766	0.12
	772	0.23
	773	0.10
	775	0.07
	777	0.21
	673	0.04
	681	0.01
	616	0.06
योग	47	3.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आसनडीह जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 9 फरवरी 2018

क्रमांक/1298/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-आसनडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-16.78 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	100	1.75
	103	1.21
	104	0.40
	105	1.22
	389	1.62
	392	1.21
	115	0.41
	395	2.10
	398	1.77
	397	0.81
	401	0.10
	448	0.20
	449	0.20
	450/2	0.75
	521	0.61
	522	1.21
	527	0.10
	529	0.20
	524	0.81
	530	0.10
योग	20	16.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आसनडीह जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 25 जनवरी 2018

प्रकरण क्रमांक 758/01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-साल्हेभाठ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	25	0.04
	83	0.02
	62	0.17
	68	0.04
	79	0.01
	69	0.12
	77	0.02
	78	0.07
	85	0.02
	88	0.03
	89	0.02
योग	11	0.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पनवई नाला व्यपवर्तन बोरसी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 25 जनवरी 2018

प्रकरण क्रमांक 760/01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-करैहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.46 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	153/1	0.08
	153/2	0.15
	153/3	0.06
	155/4	0.15
	156	0.02
योग	05	0.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करैहा व्यपवर्तन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 6 मार्च 2018

क्रमांक 2064/06/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-बनियातोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.56 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	119	0.07
	120	0.01
	122	0.08
	124	0.03
	127/2	0.03
	127/3	0.04
	128	0.13
	130	0.03
	132	0.09
	93/3	0.01
	93/4	0.07
	93/5	0.05
	137	0.04
	140	0.08
	142	0.10
	143	0.02
	79	0.02
	77/5	0.04
	75	0.28
	71	0.09
	70	0.01
	69	0.14
	90/3	0.09
	90/2	0.01
योग	24	1.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बकोरी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन ग्राम बनियातोरा हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद, जिला-धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 6 मार्च 2018

क्रमांक 2065/01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसमुंडी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.72 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
609	0.06
569	0.15
62	0.13
570	0.05
147	0.03
574	0.09
112/1	0.08
114/3	0.01
114/5	0.04
114/4	0.12
152/1	0.16
148	0.04
135/1	0.01
146	0.06
140/2	0.03
140/3	0.01
144	0.06
169	0.11
168	0.16
167	0.07
64	0.13
63	0.06
61	0.04
166	0.01
119	0.01
योग 25	1.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बकोरी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम भैंसमुंडी हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद, जिला-धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 6 मार्च 2018

क्रमांक 2066/04/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-मगरलोड
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.274 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
594/1	0.010
597/9	0.060
597/3	0.060
586/2	0.030
585	0.050
373/1	0.020
583/1	0.012
583/2	0.012
534	0.060
388, 389	0.100
387	0.080

(1)	(2)
386	0.010
394/3, 4 क	0.040
394/3, 4 ख	0.030
394/2	0.080
400/1, 3	0.070
398	0.020
442	0.010
399	0.040
425/2	0.030
426/1	0.010
424, 427	0.050
427/1	0.040
427/7	0.010
427/5	0.060
438	0.040
439	0.040
440/2	0.030
441/1	0.030
450/1	0.040
452	0.010
453/2	0.020
466	0.010
449/2	0.010
579	0.030
586/4	0.020
योग 36	1.274

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बकोरी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम मगरलोड हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद, जिला-धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 6 मार्च 2018

क्रमांक 2067/07/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-मड़ेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
690	0.09
योग 1	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बकोरी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम मड़ेली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद, जिला-धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 6 मार्च 2018

क्रमांक 2068/09/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-बकोरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.82 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
328	0.08

	(1)	(2)
	326	0.08
	291	0.08
	298	0.08
	299	0.08
	325	0.05
	538	0.02
	537	0.01
	539	0.05
	542	0.02
	540	0.04
	544	0.08
	560	0.06
	561	0.02
	345	0.10
	562	0.01
	667	0.20
	673/1	0.04
	674	0.05
	675	0.03
	456	0.08
	446	0.07
	445	0.07
	444	0.01
	442	0.06
	440	0.19
	436	0.16
योग	27	1.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बकोरी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम बकोरी हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद, जिला-धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 6 मार्च 2018

क्रमांक 2069/08/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-सोनपैरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.44 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	183	0.06
	182	0.05
	181	0.08
	180	0.08
	179	0.06
	173	0.11
	476	0.05
	479	0.04
	463	0.10
	464	0.02
	172	0.01
	498	0.03
	171	0.04
	170	0.06
	452	0.15
	466	0.01
	496	0.01
	493/5	0.02
	494	0.01
	491	0.01
	492	0.08
	488	0.12
	480/1	0.05
	481	0.04
	482	0.06
	465	0.01
	480/2	0.04
	477	0.03
	470	0.01
योग	29	1.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बकोरी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम सोनपैरी हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद, जिला-धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 11 अप्रैल 2018

संशोधन

क्रमांक/1146/अ.वि.अ./वाचक/2018.—ग्राम रामपुर कोरबा स्थित भूमि जो कि राजस्व अभिलेखों में मंगलम बिल्डवेज प्रा.लि. कोसाबाड़ी कोरबा डायरेक्टर डॉ. धर्मवीर सिंह ढिल्लों पिता श्री दरयाब सिंह जाति जाट, श्रीमती मोहिन्दर कौर पति स्व. लविन्दर सिंह जाति सिक्ख, श्रेष्ठ सिंह ठाकुर पिता स्व. जगदीश सिंह जाति राजपूत सभी निवासी कोरबा तहसील व जिला कोरबा के भूमिस्वामी हक में दर्ज भूमि को उत्तर कोरबा वन खण्ड कोरबा के कक्ष क्रमांक पुराना नं. 2200 नया नंबर पी-989 से पृथक किये जाने की अधिसूचना क्रमांक/650/अ.वि.अ./वाचक/2018, दिनांक 09 फरवरी 2018 का प्रकाशन "छत्तीसगढ़ राजपत्र" (साधारण) क्रमांक 8 दिनांक 23 फरवरी 2018 के पेज क्र. 484 को प्रकाशित की गई थी जिसमें ख.नं. 65/1 ग, रकबा 0.74$^{1/2}$ का उल्लेख अनुसूची लिपिकीय त्रुटिवश छूट गया था उसे अनुसूची में संशोधित कर पुनः प्रकाशित करें एवं "ख. नं. 65/1 ड, रकबा 0.74$^{1/2}$ में "रकबा 0.74$^{1/2}$ का" जो उल्लेख किया गया है वह लिपिकीय त्रुटिवश गलत हो गया है उसके स्थान पर "ख.नं. 65/1 ड, रकबा 0.96$^{1/2}$" पढ़ा जावे.

अनुसूची

जिला-कोरबा, अनुविभाग-कोरबा

क्रमांक (1)	वनमंडल (2)	तहसील (3)	वनखण्ड का नाम (4)	क्षेत्रफल एकड़ में (5)
1.	कोरबा	कोरबा	उत्तर कोरबा	ख.नं. 65/1 च, रकबा 0.76$^{3/4}$ ख.नं. 65/1 घ, रकबा 0.87$^{1/2}$ ख.नं. 65/1 ज, रकबा 0.74$^{1/2}$ ख.नं. 65/1 ग, रकबा 0.74$^{1/2}$ ख.नं. 65/1 ड, रकबा 0.96$^{1/2}$ ख.नं. 65/1 छ, रकबा 0.86 ख.नं. 65/1 ख, रकबा 0.91 ख.नं. 65/1 झ, रकबा 0.98$^{1/4}$
				कुल ख.नं. 08 कुल रकबा 6.84 ए.

बी. एस. मरकाम,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी.